[20/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 1256]

// विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1256 की जानकारी //

(परिशिष्ट अ)

⇨ तत्कालीन कलेक्टर महोदय, जिला झाबुआ के आदेश क्र./2069/रीडर-1/2004 दिनांक 06-12-2004 अनुसार नगर परिषद् थान्दला को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम गच्छलई माता में 2.04 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी, जो थान्दला शहर से करीब 4 किमी की दूरी पर स्थित है। तत्समय से ही निकाय द्वारा उक्त भूमि का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किया जा रहा है।

⇨ उक्त भूमि के पास वर्ष 2018 में नवोदय विद्यालय बनकर तैयार हुआ एवं वर्तमान में नवोदय विद्यालय में छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत् होकर छात्रावास भी है। उक्त विद्यालय ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के पास होने से वहाँ के छात्र/छात्राओं द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला झाबुआ को शिकायत की गई। जिसके निराकरण हेतु तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थान्दला के निर्देश पर तहसीलदार महोदय, पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक तथा निकाय के स्वच्छता निरीक्षक एवं स्वयं अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम रुण्डीपाड़ा तह. थान्दला की सर्वे नं. 20 की भूमि को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु उपलब्ध नहीं कराने के लिये विरोध किया गया एवं लिखित में आपत्ति भी दर्ज कराई गई।

⇨ तदउपरान्त दल द्वारा पुनः नवीन भूमि ग्राम तलावली तह. मेघनगर में स्थित सर्वे नं. 716 रकबा 3.2300 हेक्टेयर शासकीय भूमि ना.का. का चयन किया गया था, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश क्रमांक/0011/अ-20(1)/2021-22 से आवंटित कि गई थी जो ग्राम तलावली में आवंटित भूमि का सर्वे क्रमांक 716 रकबा 3.2300 हेक्टर भूमि पर क्षेत्रिय विधायक श्री विरसिंह जी भूरिया द्वारा एवं नागरिकों द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने से नवीन भूमि का प्रस्ताव मांगा गया था।

⇨ जिसके पश्चात निकाय द्वारा अन्यत्र भूमि की मांग कि गई। जिसमें निकाय को न्यायालय कलेक्टर जिला झाबुआ के प्रकरण क्र. 0001/अ.20(S)/2023-24 दिनांक 09-01-2024 आदेशानुसार निकाय को ग्राम मियाटी में स्थित सर्वे नम्बर 635 रकबा 6.0100 हेक्टर गैर मुमकिन में से रकबा 3.00 हेक्टर भूमि आवंटन कि गई जिस पर निकाय द्वारा कचरा डम्प किये जाने हेतु कचरा वाहन भेजे गये, लेकिन ग्रामवासियो द्वारा विरोद्ध करते हुये कचरा वाहन को तोड फोड कर कर्मचारियों के साथ मारपीट कि गई। जिसकी Fir दिनांक 24-10-2024 एवं दिनांक 07-05-2025 को पुलिस थाना थांदला में की गई थी।

⇨ उक्त विवाद होने के पश्चात् निकाय द्वारा पुनः उक्त स्थान कचरा डालने हेतु वाहन भेजे गये परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कचरा नही डालने दिया गया एवं उक्त भूमि से कुछ दुरी पर समीप मन्दिर निर्माण करवा दिया गया। जिस वजह से निकाय द्वारा उक्त स्थान पर कचरा नहीं डाला जा सका।

⇨ निकाय द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु आवंटित भूमि विवाद का समाधान करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद थांदला

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

नीलेश दुबे
उप संचालक
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

Scanned with CamScanner